

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेडा

राममल रैगा बनाम राधा

136/18 नं. 22 सन 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------------------	---

बाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 9/4/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहसंयोजक करेडा

9/4/18

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सज्जतीय कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 20/4/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, करेडा

30/4/18

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी कानून व्यवस्था में बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 17/7/18 को पेश हो।

17/7/18

उपखण्ड अधिकारी, करेडा

29/8

पत्रावली लेखक राममल रैगा द्वारा पेश हुआ है। पत्रावली दिनांक 29/8/18 को पेश हुआ है। सरकारी उपस्थिति दिनांक 29/8/18 को पेश हुआ है। मैं अंकित तथ्यों को पेश करने हेतु निवेदन किया कि मोहन माला तहसील करेडा स्थित खेत नं. 82 का कुल रकबा 5-08 बीघा है। इसमें कुल सरकारी खेत का क्षेत्रफल 5-08 बीघा है। साथ राममल रैगा का नाम रजि.

राम लाल शाह

न्यायालय उपखंड अधिकारी  
पवेन सहायक कलेक्टर  
कोटा (भीलवाकर)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

..... बनाम.....

किस्म मुकदमा..... १०५५ ..... नं. २२/१८ सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>दर्ज रेकर्ड है कि नम जज को अपने अपने नाम रायमल के बजाय शुद्ध नाम रामलाल दर्ज करवान्य च्छ टो है जारी करा त सुत च्छ रचनापम व त आई ड में राशन कर है, आध्यात्मिक मतरा पदचान पम, पन नंबर १३ की प्रसुत फाटा लीया है जथा धन नाम रामलाल स्वयं तौर पर दर्ज होकर पिता का नाम कस्तूर रंग स्वरूप से दर्ज रेकर्ड है छि करण में हएक परवारी द्वारा उपरोक्त राजकी आंमलेखों के आध्या पर दिनांक २९ की रिपोर्ट में स्वयं किमनमाविके खतानी सं० १२ कुल किला ५.०८ में कस्तूर रंग के पुत्र रायमल रंग अंमूक अंकन को बिलोपित किया जाकर रामलाल शुद्ध अंकन अंकित करने हेतु अंमूशंवा की प्रसुत जारी द्वारा अन्ध सहरपालदारी के अपने कथन के प्रती बमान नही दर्ज करा है तथा न ही हएक परवारी आरुप से रिपोर्ट जमा कर प्रसुत की है।</p> <p>अतः प्रत्येक पक्ष स्वार्थिन विवेक से आदेश प्रदान किमे जाते हैं प्रभावमी फलाम शुमा होका नंबर से कम है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया</p>

उपखंड अधिकारी पवेन  
सहायक कलेक्टर कोटा